बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0स0 :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1337 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

श्री रघुनन्दन विश्वास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वायसी के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, वायसी अंतर्गत पदस्थापन काल (2016–17) में बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों के मरम्मत कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3617 अनु0 दिनांक 18.12.2017 द्वारा श्री विश्वास से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री विश्वास के पत्रांक 110 दिनांक 10.01.2018 से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया। तद्‌लोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2694 अनु0 दिनांक 08.11.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत श्री विश्वास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी (अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 16 अनु0 दिनांक 30.01.2019 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री विश्वास के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में उल्लेख किया गया कि बाढ़ 2016 के समय ही विभागीय अधिसूचना संख्या–9491 एवं 9492 द्वारा श्री रघुनन्दन विश्वास को कार्य प्रमंडल, वायसी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया था, जिसके अनुपालन में दिनांक 03.08.2016 को उन्होंने उक्त प्रमंडल, का प्रभार श्री विजय कुमार लाल, कार्यपालक अभियंता को सौंप दिया था। गठित आरोपों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि संबंधित कार्यों के प्राक्कलन का गठन कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 17.08.2016, दिनांक 10.08.2016, दिनांक 11.08.2016 को किया गया, जिसे कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 27.08.2016 को हस्ताक्षरित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जबकि श्री विश्वास द्वारा अपना प्रभार दिनांक 03.08.2016 को ही सौंप दिया गया है, तो इस परिस्थिति में संबंधित योजनाओं के प्राक्कलन के गठन या कार्यान्वयन में इनकी कोई भूमिका नहीं है। श्री विश्वास उक्त कार्य में संलग्न नहीं हैं। अतः आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

3. श्री रघुनन्दन विश्वास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वायसी के दिनांक 28.02.2021 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश ज्ञापांक–1229 दिनांक 03.09.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गई एवं सम्यक समीक्षोपरान्त श्री विश्वास का स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य पाया गया। तद्‌लोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री विश्वास को आरोप मुक्त करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

5. अतः उक्त के आलोक में श्री रघुनन्दन विश्वास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वायसी सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.9.21

(कृष्ण मोहन सिंह)

उप सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in
E:/2021/Aaropmukt

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1338 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1338 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रघुनन्दन विश्वास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वायसी सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :–301, साउथ ब्लॉक, श्यामा अपार्टमेंट, नीतिबाग, लोहियापथ, जगदेव पथ, डाकघर–धनौत, थाना–रूपसपुर, जिला–पटना, पिन कोड–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21

उप सचिव